न्यायालय सत्र न्यायाधीश (रमाबाई नगर) कानपुर देहात ।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1150/2026

CNR No.UPRN01-003084-2026

1. हरिशंकर प्रसाद, उम्र लगभग 52 वर्ष वयस्क पुत्र स्व० फिरतूराम, निवासी ग्राम इन्दिरा नगर, थाना शिवली, तहसील मैथा, जनपद कानपुर देहात। ...आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं०–157/2026
धारा–115(2),351(3),352,109(1)बी०एन०एस०
थाना–शिवली, कानपुर देहात।

आदेश

1. मुकदमा अपराध सं०–157/2026, धारा–115(2),351(3),352,109(1)बी०एन०एस०, थाना–शिवली, कानपुर देहात के मामले में आवेदक/अभियुक्त हरिशंकर प्रसाद की तरफ से जमानत हेतु यह जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन के कथनानुसार वादी मुकदमा ओम तिवारी उर्फ विद्याशंकर के द्वारा इस आशय की तहरीर संबंधित थाने पर दी गयी कि वह ग्राम मांडा, पोस्ट मैथा थाना शिवली कानपुर देहात का निवासी है। उसके गांव इंदिरा नगर राजस्व ग्राम बैरी सवाई का खेत आराजी संख्या 1754 मि0 जिसके मालिक काबिज व दाखिल कर राजेश पुत्र दीपराज नि0 116/514 केशव नगर थाना रावतपुर कानपुर नगर है कि बटाई करता है। वह दिनांक 27.04.2026 को उक्त खेत पर समय करीब 2:30 दोपहर साफ सफाई बबूल पेड़ आदि की कटाई कर रहा था तभी ग्राम इंदिरा नगर गांव के हरिशंकर पुत्र स्व० फिरतुराम खेत पर आया और उसको मां बहन की भद्दी–2 गालियां देने लगा जब उसने इसका विरोध किया तो हरिशंकर ने उसके गले में अंगोछा डालकर नीचे गिरा दिया व अंगोछा कर कसकर उसे मारने पीटने लगा। वह दोनो हाथो से विकलांग है तो अपने आप को बचा न सका और हरिशंकर उसके चेहरे पर लगातार घुसो से मारता रहा किसी तरह उसने खुद को हरिशंकर से बचा पाया इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए हरिशंकर भाग गया और मार पीट व अंगोछे से उसके शरीर व गले में काफी चोटे आयी है। उक्त घटना का वीडियो भी उसके पास है उसके बाद खेत मालिक के मिलने वाले प्रशांत कुशवाहा ने अपने मो0 नं0 6393904293 से 112 नंबर डायल कर घटना की सूचना पुलिस को दी। उसका मेडिकल कराकर रिपोर्ट दर्ज कर कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसे रंजिशन व झूठा फँसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उस पर लगय गये आरोप झूठे है। विवेचक ने गलत तरीके से मामले में धारा–109(1) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की है। सत्यता यह है कि दिनांक–27.04.2026 को एक बजे दिन वादी व अन्य अभियुक्तगण राजेश, मुन्नीलाल, सुरेश अपने साथ अपने लोगों को लेकर ०सी०बी०मशीन लेकर चढ़ आये और उसकी भूमि पर खड़े 55 हरे यूकेलिप्टस के पेड काट लिये तथा आराजी सं०–1754 मि० पर खड़ी प्याज की फसल को काट कर लोडर में लेकर चले गये। तब वह मौजूद नहीं था, बाद में जब पहुँचा तो उक्त लोगों ने उसके घर पर हमला करके उसे जान से मारने की धमकी दी तथा उसके घर का सामान तोड़ दिया और गालियाँ दी। वह थाने शिकायत करने गया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त पिता ने एक सिविल वाद सं०–743/2013 फिरतूराम बनाम सुखराजी दाखिल किया, जिसमें राजेश कुमार बाद में पक्षकार बना है, जिसके निरस्त होने पर अपील सं०–89/2013 योजित की गयी तथा सिविल अपील निरस्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील दाखिल है। अभियुक्त कैंसर पीड़ित मरीज है तथा उसका टाटा मेमोरियल मुम्बई में इलाज चल रहा है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त जेल में निरूद्ध है। उक्त आधारों पर जमानत दिये जाने की याचना की गयी।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने मौखिक रूप से तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित रूप से जमानत प्रा0 पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.05.27 16:18:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त के द्वारा मामले के वादी मुकदमा ओम तिवारी उर्फ विद्याशंकर, जो कि दोनों हाथों से विकलांग है, को मारपीट कर तथा गले में अंगौछा डालकर उसको जान से मारने का प्रयास किया गया है। मामले में विवेचना प्रचलित है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि इस मामले में आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा ओम तिवारी उर्फ विद्याशंकर, जो कि दोनों हाथों से विकलांग है, को मारपीट कर तथा गले में अंगौछा डालकर उसको जान से मारने का प्रयास किये जाने का आरोप है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा ओम तिवारी उर्फ विद्याशंकर को दो चोटे आना एवं सीने में दर्द की शिकायत किया जाना बताया गया है तथा चोटों की प्रकृति साधारण बतायी गयी है। केस डायरी में डा० सिन्धुजा सिंह का बयान अंकित किया गया है, जिसमें उसने चुटहल के आयी चोटों की प्रकृति साधारण बतायी है। मामले में चुटहल को कोई प्राण घातक चोटें नहीं आयी है। मामले में अभियुक्त पक्ष की तरफ से चुटहल के मालिक राजेश कुमार से सिविल प्रकृति का विवाद पूर्व से होने का तथ्य रखा गया है। अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक–14.05.2026 से जेल में है। मामले में विवेचना प्रचलित है।

7– अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा मामले के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये हुए आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8– तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा मु०–50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही राशि के एक प्रतिभू सहित, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुसार निष्पादित करने पर, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्त के द्वारा निम्न आशय का अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत किया जाये–

1– आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि दौरान विवेचना वह विवेचना में सहयोग करेगा तथा विवेचना उपरान्त दौरान विचारण न्यायालय साक्षियो को डराये धमकायेगा नहीं और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा ।

2– आवेदक दौरान विचारण साक्ष्य की तिथि पर साक्षियों के न्यायालय में उपस्थित रहने पर वह स्थगन की मांग नहीं करेगें तथा इस शर्त का उल्लंघन होने पर इसे जमानत का दुरूपयोग माना जायेगा तथा न्यायालय इसके विरूद्ध विधिनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

3– आवेदक विचारण प्रारम्भ होने के समय,आरोप विरचन एवं बी०एन०एस०एस० की धारा–351 के अन्तर्गत पृच्छा अंकित करने की तिथि एवं निर्णय की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा। यदि न्यायालय किसी भी स्तर पर यह पाती है कि आवेदक जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित हो रहा है तो उस स्थिति में न्यायालय जमानत के व्यतिक्रम का मामला मानते हुए आवेदकगण के विरूद्ध विधिनुसार कार्यवाही करेगी ।

दिनांक–27.05.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003